भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3159

जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है

टोल संग्रहण के माध्यम से राजस्व सृजन

3159. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्ष के दौरान पूरे देश में टोल संग्रहण के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा कुल सृजित राजस्व कितना है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल लगाए जाने के लिए राज्य-वार कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे राजमार्गों की संख्या कितनी है जिन पर निर्धारित अवधि के उपरांत भी टोल संग्रहण जारी है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव का आकलन करने के लिए प्रदर्शन या अनुरक्षण संबंधी कोई मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या किसी संपरीक्षा में उन मानकों को पूरा नहीं करने वाले ऐसे राजमार्गों को चिह्नित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) विगत दस वर्षों के दौरान देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा पर संग्रहित किए गए कुल प्रयोक्ता शुल्क का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:-

वित्तीय वर्ष	**प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण (करोड़ रुपये में)**
2015-16	17,759.28
2016-17	18,511.86
2017-18	21,763.56
2018-19	26,188.02
2019-20	27,503.86
2020-21	27,926.67
2021-22	33,928.66
2022-23	48,032.40
2023-24	55,882.12

2024-25	61,408.15

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 और संबंधित रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार भारत के राजपत्र में संबंधित प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के प्रकाशन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएचएस) पर शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क एकत्र किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, रियायतग्राही संचालित शुल्क प्लाजा के मामले में, रियायत करार के अनुसार अधिसूचित शुल्क रियायत अवधि के अंत तक लगाया जाता है और रियायत अवधि की समाप्ति के पश्चात, शुल्क प्लाजा सरकार को सौंप दिया जाता है और उसके बाद प्रयोक्ता शुल्क सरकार द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से संग्रहित किया जाता है। सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना के तहत शुल्क प्लाजा के संबंध में, राष्ट्रीय राजमार्ग के ऐसे खंड के लिए शुल्क वसूला जाना जारी रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण से संग्रहित किया गया राजस्व भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाता है और बजटीय आवंटन के माध्यम से दी गई निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के आगे के रखरखाव, विकास और संवर्धन के लिए किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के रखरखाव को संबंधित संविदा/रियायत करार के प्रावधान के अनुसार विनियमित/शासित किया जाता है। सरकार की नीति के अनुसार, यदि किसी एनएच का कोई खंड निर्माण/विकास संविदा/रियायत करार के संदर्भ में निर्माण के बाद दोष देयता या रखरखाव प्रावधान द्वारा कवर नहीं किया जाता है, तो सरकार पहले से विकसित हिस्सों के लिए या तो अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) या निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) को मंजूरी देती है। राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव आवश्यकता के अनुसार किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का कोई भी हिस्सा उपेक्षित न रह जाए।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव आवश्यकता के अनुसार किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का कोई भी हिस्सा उपेक्षित न रह जाए। निगरानी के लिए, स्वतंत्र अभियंता/प्राधिकरण अभियंता (आईई/एई) नियमित रूप से कार्यस्थल का निरीक्षण करते हैं और सक्षम प्राधिकारी आवधिक समीक्षा/कार्यस्थल का दौरा करते हैं। इसके अलावा, अनुबंध करार में निर्दिष्ट वांछित सेवा स्तर के संबंध में फुटपाथ और अन्य राजमार्ग परिसंपत्तियों की स्थिति का आकलन और निगरानी के लिए आवधिक एनएसवी सर्वेक्षण, एफडब्ल्यूडी परीक्षण, ड्रोन सर्वेक्षण आदि किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वतंत्र गुणवत्ता लेखा संपरीक्षा के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर तीसरे पक्ष के गुणवत्ता लेखा परीक्षकों की तैनाती भी की जाती है।

इन सर्वेक्षणों/निरीक्षणों के परिणामों के आधार पर, संविदा/रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार संबंधित संविदाकारों/रियायतग्राहियों के माध्यम से आवश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्य किया जाता है।

*****